न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 152 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. राखी मोहम्मद पुत्र गुलू 2. बरकत अली पुत्र गुलू जाति मुसलमान निवासी सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. श्यामसिंह पुत्र देवतरसिंह जाति राजपूत निवासी रामसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार / उपपंजीयक, सेड़वा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 176 / 2021 बअनवान श्यामसिंह बनाम राखी मोहम्मद वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.06.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री केसराराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—10.08.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 439 / 66 रकबा 02.00 बीघा, खसरा संख्या 440 / 66 रकबा 36 बीघा कुल रकबा 38 बीघा मौजा सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में आये हुए है जिसमें वादी का 1 / 2 हिस्सा तथा शेष 1 / 2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खातेदारी के है तथा मौके पर मौखिक बंटवाड़ा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग अलग हिस्से खुल्ले हुए नहीं है जिस कारण पक्षकारान के गध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है इसलिये वादी अपने हिस्से की घोषणा करवाकर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सेड़वा से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम से प्रथम बार ही डाक से नोटिस जारी किये गय है जबकि विधिवत रूप से प्रथम बार जरिये तामिल कुन्निका से सम्मन तामिल करवाया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रथम बार ही डाक से नोटिस भेजे गये तथा नोटिस अपीलांट से विधिवत तामिल हीं नही हुए है तथा डाक द्वारा भेजे गये नोटिस की ए डी पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है, उनके फर्जी हस्ताक्षर किये गय है, उक्त फर्जी हस्ताक्षरों को आधार मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। जबकि अपीलांट को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों को खोलते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये बावजूद सूचना एवं तामिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के अपीलांटस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में सभी पक्षकारों के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सों की घोषणा की गई। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 176/2021 बअनवान श्यामसिंह बनाम सखी मोहम्मद वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 10.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर